DR-1649
14-11-19

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध।

संख्या–: जी0–18 / सत्तर–3–2019–08(42) / 2019

GA-1341
14/11/19

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

कुल सचिव का कार्यालय
डाक प्राप्ति
संख्या 770
तिथि 14/11/19
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2019**

विषयः– उत्तर प्रदेश के यू0जी0सी0 से सम्बद्ध विश्वविद्यालयों में आर्थिक / बैंकिंग / वित्तीय विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिये पुरस्कार हेतु योजना को परिचालित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 के पत्र सं0– पी–6239 / जी0एस0, दिनांक 16.10.2019 के साथ संलग्न पत्र काजी मु0 ईसा, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं0–कें0का0रा096 / 08.04.513. / 2019–20 दिनांक 30 अगस्त, 2019(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आर्थिक / बैंकिंग / वित्तीय विषयों पर हिन्दी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **"आर्थिक / बैंकिंग / वित्तीय विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार"** योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यरत / सेवानिवृत्त प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर आदि सहित) को आर्थिक / बैंकिंग / वित्तीय विषयों पर हिंदी विषयों में लिखी गयी मौलिक पुस्तकों के लिए रू0 1,25,000 / –(रू0 एक लाख पच्चीस हजार) के तीन पुरस्कार रखे गये है तथा इस सम्बन्ध में अन्य विवरण रिजर्व बैंक की वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। [illegible handwritten addition]

DR GA

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रभारी (GA)
14.11.2019.

PTO

DR(G.A) / कुलसचिव जी,

कृ० यदि सहमत हो तो Incharge Website को पत्र इस आशय से प्रस्तुत कर दिया जाए कि उक्त पत्र विश्वविद्यालय की Website पर अपलोड करने एवं समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्षों को ई-मेल के माध्यम प्रेषित करें।

1- समस्त संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों को इस अनुरोध से प्रेषित कि अपने विभाग में कार्यरत शिक्षकों को उक्त योजना से अवगत कराने का कष्ट करें।

कृ० अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

Neeraj [illegible]
14/XI/19 [illegible]

14.XI.19 [illegible]
16.11.2019.

19/XI/19

संख्या– जी० -18 / 70-3-2019

राज्यपाल सचिवालय,उ0प्र0
लखनऊ–226027

पत्रांक पी–6239 / जी0एस0,
दिनांक 16.10.2019

प्रेषक,

उप सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

संख्या 3866/अ.मु.स./उ.शि./2019

सचिव

विषय–उत्तर प्रदेश के यू0जी0सी0 से सम्बद्ध विश्वविद्यालयों में आर्थिक / बैंकिंग / वित्तीय विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिये पुरस्कार हेतु योजना को परिचालित करने के संबंध में।

महोदय,

22 (रिंमी चन्द्र) निजी सचिव अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राज्यपाल महोदया को प्रेषित काजी मु0 ईसा, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, सी–9, आठवीं मंजिल, बांद्रा–कुर्ला संकुल, बांद्रा(पूर्व) मुम्बई–400051 के पत्रांक : रा0वि0कें0का0सं096 / 08-04.5132/2019-20, दिनांक 30.8.2019 की छायाप्रति एवं संलग्नकों को मूल रूप में प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

585/S-HIE(R-19)
VS(M)

भवदीय,

22.10.19
(आर० रमेश कुमार)
सचिव
उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(नवीन चन्द्र)
उप सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

संलग्नक : यथोपरि।

प्रतिलिपि काजी मु0 ईसा, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, सी–9, आठवीं मंजिल, बांद्रा–कुर्ला संकुल, बांद्रा(पूर्व) मुम्बई–400051 को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

सं0 3154/वि0स0उ0शि0(एम.)/19–20

JS(SK)

(नवीन चन्द्र)
उप सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

US(H)

SO

24.10.19
(अम्बर लाल)
निजी सचिव
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0 प्र0 शासन

24/10/2019
(अवधेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उ0 प्र0 शासन

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उ0 प्र0 शासन

24/10/19

30/10/19

6239
01.10.19

कुलाधि - 25

No. 2188 /FC Camp
Dt. 16/9/19 /2019

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

संदर्भ: राविं, कें.का. सं.96/08.04.513/2019-20 30 अगस्त 2019

L0No-3653/SIGS/16.9.19

सचिव
राज्यपाल सचिवालय
राजभवन
लखनऊ, 226027

आदरणीय महोदय/महोदया

<u>आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आर्थिक /बैंकिंग/ वित्तीय विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से 'आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार' योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यरत/सेवानिवृत्त प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर आदि सहित) को आर्थिक /बैंकिंग/ वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार रुपए) के तीन पुरस्कार रखे गए हैं। योजना के ब्योरे इसके साथ संलग्न हैं। इसे हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है जिसे अंग्रेजी में <https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=47799> व हिंदी में <https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?Id=39373&Mode=0> लिंक को क्लिक कर डाउनलोड किया जा सकता है।

2. आपसे अनुरोध है कि इसे अपने प्रदेश के यूजीसी से संबद्ध विश्वविद्यालयों में परिचालित करवाने का कष्ट करें ताकि इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक प्रोफेसरों को मिल सके और वे इसमें भाग ले सकें। आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं।

भवदीय

(क़ाज़ी मु. ईसा)
महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051
Rajbhasha Department, Central Office, C-9, 8th Floor, BKC, Bandra-(E)-Mumbai-400 051
फोन Phone: 022-2657 2801; ई-मेल e-mail: rajbhashaco@rbi.org.in
– बैंक हिंदी में पत्राचार का स्वागत करता है –

राजभाषा विभाग

आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार - आवेदन आमंत्रित करना

अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्तीय विषयों में मूल व उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार' नाम की योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए नामांकन आमंत्रित करने के मानदंड इस प्रकार हैं:-

1) पात्रता:

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यरत/सेवानिवृत्त प्रोफेसर (सहायक और एसोसिएट, आदि सहित), जिन्होंने आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में न्यूनतम 200 पृष्ठों की कम से कम एक पुस्तक लिखी हो, इस योजना के अधीन पुरस्कार के पात्र होंगे।

(ख) उपर्युक्त (क) में शामिल विषयों पर लिखी गई पुस्तक 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के बीच प्रकाशित होनी चाहिए तभी उस पर पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा।

(ग) लगातार 2 वर्षों तक पुरस्कृत लेखक को तीसरे वर्ष कूलिंग पीरियड में रखा जाएगा। चौथे वर्ष पुनः वह योजना में भाग लेने के लिए पात्र होगा।

2) मूल्यांकन समिति:

(क) विश्वविद्यालयों में कार्यरत अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्तीय विषयों के 2 (दो) प्रोफेसर और हिन्दी साहित्य/भाषा विज्ञान के 1 (एक) प्रोफेसर; इनमें वरिष्ठतम प्रोफेसर समिति के अध्यक्ष होंगे।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, राजभाषा विभाग के महाप्रबंधक समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, राजभाषा विभाग समिति के लिए सचिवालय का काम करेगा।

3) मूल्यांकन विधि:

(क) आवेदकों से विचारार्थ प्राप्त पुस्तक/(कें) अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाएंगी।

(ख) अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र के प्रोफ़ेसर इसकी विषय-वस्तु की जांच करेंगे और हिन्दी साहित्य/भाषा विज्ञान के प्रोफेसर इसकी भाषा-शैली की जांच करेंगे।

(ग) विषय वस्तु पर 60% और भाषा शैली पर 40% वेटेज होगा।

4) पुरस्कारों की संख्या: अधिकतम 3 (तीन)।

5) पुरस्कार राशि: प्रत्येक पुरस्कार – ₹ 1,25,000.00 (रुपये एक लाख पच्चीस हज़ार मात्र) का होगा।

इस योजना में भाग लेने के इच्छुक सभी प्रोफेसरों से अनुरोध है कि वे अपना नामांकन निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में प्रत्येक पुस्तक की 5 प्रति के साथ हमें 01 नवंबर 2019 तक भिजवाने की व्यवस्था करें। देरी से प्राप्त/अधूरी प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। पुरस्कार के संबंध में लिया गया निर्णय बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर अपलोड किया जाएगा तथा विजेताओं को व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया जाएगा। इस संबंध में आवेदकों से और कोई सीधा पत्राचार नहीं किया जाएगा। ये पुरस्कार हर वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

RAJBHASHA DEPARTMENT

Award scheme for writing books originally in Hindi on Economics/Banking/Financial subjects - Invitation for Nominations

In order to encourage original and outstanding writings in Hindi in the field of Economics/Banking/Finance, the Reserve Bank of India has introduced an 'Award scheme for writing books originally in Hindi on Economics/Banking/Financial subjects'. The criteria for inviting nominations are as under:-

1. **Eligibility:**

(a) Working / Retired Professors (including Assistant and Associate etc.) of Indian Universities, who have written at least one book of minimum 200 pages originally in Hindi on Economic/Banking/Finance subject, will be eligible for this award.
(b) The book written on subjects included in para (a) above published during 1 July 2018 to 30 June 2019 will be considered for the award.
(c) The author awarded for 2 consecutive years will be in the cooling period for the third year. In the fourth year, he will be again eligible to participate in the scheme.

2. **Evaluation Committee:**

(a) Two (2) Professors of Economics/Banking/Finance and one (1) of Hindi Literature/Linguistics from universities. The senior most Professor will be the Chairman.
(b) General Manager, Rajbhasha Vibhag, CO, RBI will be the Member Secretary of the Committee.
(c) Rajbhasha Vibhag, CO, RBI will function as Secretariat for the Committee.

3. **Assessment Procedure:**

(a) Books received from applicants will be forwarded to the Chairman and Committee Members for consideration.
(b) Professors of Economics/Banking/Financial Sector will examine the contents of the books and professor of Hindi Literature/Linguistics will examine the language and style.
(c) Weightage for contents will be 60% and weightage for language and style will be 40%.

4. **Number of awards**: Maximum three (3)

5. **Prize amount**: ₹ 1,25,000.00 (Rupees one lakh twenty five thousand only) each.

All Professors willing to participate in the scheme are requested to submit their nominations along with 5 copies of each book latest by November 01, 2019 in the prescribed proforma (enclosed). Delayed/incomplete nominations will not be entertained. Decision taken for award will be displayed on Bank's website www.rbi.org.in and winners will also be intimated individually. No further direct correspondence will be entertained from the applicants in this regard. Winners will be awarded in the Annual Rajbhasha Prize Distrbution Function organised by the Reserve Bank of India.

महाप्रबंधक/General Manager
भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय/Rajbhasha Vibhag, Central Office
सी-9, आठवीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स /C-9, 8th Floor, Bandra Kurla Complex
मुंबई - 51/Mumbai - 51

विषय: आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हेतु विचारार्थ आवेदन
Subject: Application for consideration under Award scheme for writing books originally in Hindi on Economics/Banking/Financial subjects for the year 2018-19

1.	नाम व पदनाम Name and Designation	
2.	विभाग व विश्वविद्यालय का नाम Name of Department & University	
3.	आवेदक का पूरा डाक पता Full mailing address of the applicant	
4.	मोबाइल, दूरभाष संख्या व ई-मेल Mobile, Phone & Email	
5.	पुस्तक का नाम Name of Book	
6.	पुस्तक का विषय Subject of Book	
7.	पुस्तक की कुल पृष्ठ संख्या Total number of pages of book	
8.	प्रकाशन माह व वर्ष Publication Month & Year	
9.	प्रकाशक का नाम व पूरा पता तथा संपर्क सूत्र Name of Publisher, full address and contact details	
10.	विचाराधीन पुस्तक को अगर कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उसका विवरण दें। Details of any other prize awarded to the book under consideration, if any.	
11.	पूर्व में प्रकाशित पुस्तक/कों का विवरण (यदि कोई हो तो) Details of previous book/s published (if any)	
12.	अन्य कोई जानकारी Any other information	

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त पुस्तक मेरी हिंदी में मौलिक रचना है, किसी पुस्तक का अनुवाद नहीं है और यह कॉपीराइट एक्ट (यथा संशोधित), 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती है। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
I hereby certify that this book has been originally written by me in Hindi and not a translated version of any book and under copyright act (as amended), 1997 does not violate copyrights of any writer. I also hereby certify that the above information furnished by me is correct as per my knowledge and belief.

दिनांक/Date:
स्थान/Place:

(लेखक/लेखिका का हस्ताक्षर)
(Signature of the writer)